कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज. 0744-2328871

GCMS NO.-2024/217
मिसलनम्बर– 67 / 2024

1.मधुकान्त पुत्र वी. पिसे उम्र 89 वर्ष निवासी गली नम्बर 4 मकान नं0 44 नई बस्ती सोगरिया कोटा जंक्शन कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.अजय पिसे पुत्र मधुकान्त उम्र 59 वर्ष
2.अर्पणा पिसे पत्नि अजय पिसे उम्र 47 वर्ष
3.शुभम पिसे पुत्र अजय पिसे उम्र 25 वर्ष समस्त निवासीगण गली नम्बर 4 मकान नं0 44 नई बस्ती सोगरिया कोटा जंक्शन कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 8/11/24)

उपस्थिति:–

1.श्री प्रभूदयाल प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री घनश्याम नागर अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी 89 वर्षीय का वरिष्ठ व अत्यन्त वृद्ध नागरिक है, प्रार्थी पेंन्शनर है, जो कि रेल्वे विभाग से वर्ष 1993 में सेवानिवृत है तथा प्रार्थी को मिलने वाली पेन्शन राशि से ही जीवनयापन करता चला आ रहा है। प्रार्थी के कुल 04 सन्ताने है जिसमे दो पुत्र व दो पुत्रियां कमशः विजय कुमार व अजय कुमार पिसे व पुत्रियां राजेशश्री व जयश्री है। चारों की शादी की जा चुकी है तथा चारो अपने अपने परिवार के साथ निवास कर रहे है। प्रार्थी का बडा पुत्र विजय कुमार जिसने अपनी स्वअर्जित आय से अलग मकान बनाकर काफी समय पूर्व से अलग निवास करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी स्वअर्जित आय से एक सम्पत्ति मकान गली नम्बर 04,मकान नम्बर –44, नई बस्ती सोगरिया कोटा जंक्शन, कोटा राजस्थान में स्थित चला आ रहा है, उक्त मकान को प्रार्थी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी बाई के नाम से खरीद किया था और बाद खरीद उक्त मकान का निर्माण करवाया था, जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी निवास करती चली आ रही थी, प्रार्थी की पत्नि लक्ष्मी बाई का वर्ष 2015 में स्वर्गवास हो गया है। पत्नी की मृत्यु के बाद प्रार्थी ही अकेला उक्त मकान में निवास करता चला आ रहा था। प्रतिपक्षीगण जो कि पूर्ण में निवास कर रहे थे, जो कि अभी हाल ही में प्रार्थी के उक्त मकान में बतौर लाईसेन्सी आकर निवास करने लगे जिसकी अनुमति प्रार्थी द्वारा केवल मात्र पुत्र व पुत्र वधु होने के कारण रहने की अनुमति दी थी। प्रार्थी ने उक्त मकान मे से एक कमरे को रहने के लिए दिया था, परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

गण जब से प्रार्थी के उक्त मकान मे निवास करने आए तब से ही प्रार्थी से अनावश्यक –झगडा, व गाली–गलोच करते है ओर उक्त मकान को हडपने के लिए प्रार्थी पर दबाव ते है और प्रार्थी से कहते है कि उक्त मकान को उनके नाम कर देवे, नही तो प्रार्थी के साथ च्छा नही होगा और प्रतिपक्षी कम–2 व 3 आये दिन गाली–गलौच करते है, मारने के लिए हाथ उठा लेते है और धमकी देते है कि यदि प्रार्थी ने उक्त मकान उनके नाम नही किया तो प्रार्थी को एक दिन जान से खत्म कर देगे। जबकि प्रतिपक्षीगण ना तो प्रार्थी की कोई ऐर सवेर करते है ना देखरेख करते है, ना ही कपडे आदि धोते है, ना ही खाना बनाकर देते है और ना ही हारी–बीमारी मे इलाज करवाते है ना ही भरण–पोषण करते है, इसके बावजूद भी प्रतिपक्षीगण प्रार्थी को आये दिन अपशब्द बोलते है, लडाई–झगडा करते, और आये दिन मारपीट करते है प्रार्थी को झूठे मुकदमे मे फंसाकर प्रार्थी के मकान का जबरन हडपने की धमकी देते है। इसी आशय से प्रतिपक्षीगण ने आपस मे मिलीभगत कर ली है और इसी उददेश्य की पुर्ति के लिए प्रतिपक्षीगण आपस में मिलकर आये दिन प्रार्थी को नाजायज परेशान करते हैं। यहाँ तक कि कई बार प्रार्थी के साथ गम्भीर रूप से मारपीट तक की गयी, जिसकी सूचना जब प्रार्थी ने अपने बडे बेटे व बेटियों को दी तो उनके द्वारा समझाइश करने तथा प्रार्थी के साथ गलत व्यवहार करने से मना करने पर प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी के पुत्र व प्रपौत्र के खिलाफ भी झूठी रिपोर्ट पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा मे दर्ज करवा दी गयी, जिस पर थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा द्वारा प्रार्थी के पुत्र को पाबन्द कर दिया। प्रतिपक्षीगण के मन मे बदनियती आ जाने से प्रतिपक्षीगण ने आपस मे कोल्युजन व षडयन्त्र रचते हुए. प्रार्थी के मकान को हड़पने के आशय से प्रार्थी के साथ आये दिन मारपीट तक की जाने लगी और यह धमकी दी जाने लगी है कि प्रार्थी को उक्त मकान से जबरन ताकत के बल पर घर से निकालकर मकान पर कब्जा करके रहेगे और इसी आशय से प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी साथ मारपीट करके दिनांक 03–07–2024 को घर से निकाल दिया और घर से निकालते समय प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण ने धमकी दी कि यदि प्रार्थी द्वारा इस दुबारा इस मकान मे आया तो जान से मार देगे या फिर किसी भी मुकदमे में झूठा फसाकर जेल भिजवा देगे। प्रतिपक्षीगण द्वारा आपस मे कोल्युजन व षडयन्त्र रचते हुए गत् कुछ समय से प्रार्थी के मकान में प्रार्थी से आये दिन लडाई–झगडा, गाली – गलोच करते है तथा प्रतिपक्षी कम 2 व 3 से जब प्रार्थी, प्रतिपक्षी कम 1 को समझाने के लिए कहा, तो प्रतिपक्षी कम 2 व 3 भी प्रतिपक्षी कम 1 का ही साथ देते और प्रार्थी से लडाई–झगडा करते, जिस बाबत् प्रार्थी व अन्य परिवारजनो ने प्रतिपक्षीगणो को आपस मे समझाने का हर सम्भव प्रयास भी किया गया, परन्तु प्रतिपक्षीगण के व्यवहार व कृत्यों मे कोई परिवर्तन नही आया और प्रतिपक्षीगणो का व्यवहार और ज्यादा उग्र व प्रताडित करने वाला होता चला गया, प्रतिपक्षीगण अत्यन्त उग्र होकर किसी भी प्रकार से समझ नही पा रहे है तथा प्रतिपक्षी नम्बर–1 को प्रतिपक्षी कम–2 व 3 द्वारा उल्टी सीधी बाते मिलाकर प्रार्थी के खिलाफ उकसाते व भड़काते है, प्रार्थी के साथ अत्यन्त अभ्रद व मारपीट करने वाला व्यवहार करते हुए प्रार्थी को मकान से बहार जबरन निकालने के कृत्य तक करने में लग गये है और प्रार्थी को घर से निकाल दिया, इस प्रकार प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी का अपने मकान मे रहना व जीवन व्यतीत करना मुश्किल कर दिया है और प्रार्थी की शान्ति भंग कर दी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र (कार्यवाही) प्रार्थी के पक्ष मे व प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार फरमाते हुऐ प्रार्थी के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान वाके मकान गली नम्बर 04, मकान नम्बर–44, नई बस्ती सोगरिया कोटा जंक्शन,कोटा से प्रतिपक्षीगणो को निष्कासित किये जाने बावत् आदेश फरमावे तथा प्रार्थी को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षा तथा प्रार्थी के उक्त मकान सम्पत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हुऐ उक्त बाबत् समुचित आदेश प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान फरमाया जावे तथा प्रतिपक्षीगणो को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति मकान के उपयोग–उपभोग करने,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किरायेदार रखने आदि में अडचन पैदा नही करें, लडाई–झगडा नही करे तथा अन्य उचित सहायता जो भी प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार उचित हो वह भी प्रार्थी के पक्ष मे जाई जावे। अन्य आदेश जो वहक प्रार्थी माननीय न्यायालय उचित समझता है प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि प्रार्थी के विजय कुमार, अजय कुमार, पुत्र व जयश्री राजेश्वरी पुत्रियां है। प्रार्थी का पुत्र विजय कुमार रेलवे मे नौकरी करता है जो हाल ही मे रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ है। प्रार्थी की पुत्री जय श्री व राजेश्वरी का विवाह पूना महाराष्ट में किया है, जो अपने ससुराल में निवास कर रही है। प्रार्थी की छोटी पुत्री राजेश्वरी सरकारी नौकरी मे है। प्रार्थी रेलवे विभाग में नौकरी करते थे, जिनका वर्ष 1993 में पैन्शन हो गयी, और तब से ही पूना महाराष्ट्र मे निवास कर रहे है। प्रार्थी की पत्नी लक्ष्मी देवी अप्रार्थीगण के साथ निवास करती थी, जिसके कारण प्रार्थी यदाकदा पत्नी से मिलने के बहाने कोटा आते जाते रहे है, पत्नी लक्ष्मीदेवी का वर्ष 2015 में स्वर्गवास हो गया, बाद स्वर्गवास प्रार्थी स्थायी रूप से अपनी छोटी पुत्री राजेश्वरी के साथ पूना महाराष्ट्र मे स्थायी रूप से निवास कर रहे है। उक्त मकान अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा अपनी मां लक्ष्मी बाई के नाम से खरीद किया बाद खरीद अप्रार्थीगण द्वारा मेहनत मजदूरी कर उक्त मकान का निर्माण करवाया। जिसमें अप्रर्थीगण निवास करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र विजय के साथ मिलकर माता लक्ष्मीदेवी के नाम से खरीदा गया उक्त मकान के संबंध में झूठे दस्तावेज तैयार कर पट्टा प्राप्त नही कर लेवे इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा मे अजय कुमार पीसे बनाम मधुकान्त के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा मे जेरकार वाद की जानकारी होने पर असत्य तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सारहीन होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 शुभम गार्मेन्ट इण्डस्ट्रीज कोटा जंक्शन स्थित गारमेन्ट इण्डस्ट्रीज निर्माता एवं निर्याता के यहां लगभग 17 वर्षों से काम कर रहे है और परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की काफी सेवा सुश्रुषा की अप्रार्थीगण भी चाहते है कि प्रार्थी उनके पास रहे ताकि अप्रार्थीगण को उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो ताकि परिवार सही तरीके से चल सके। किन्तु प्रार्थी को पुत्रियां व विजय कुमार अप्रार्थीगण के विरूद्ध अनाप शनाप भरकर प्रार्थी के मन में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कटुता पैदा कर दी है। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा असत्य तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। और उनका लाभ अप्रार्थीगण को प्राप्त हो। प्रार्थी वर्ष 1993 के बाद से स्थायी रूप से कोटा में अर्थात वर्णित मकान मे निवास नही किया है प्रार्थी द्वारा अपने सभी सरकारी एवं अन्य दस्तावेजात भी रेलवे क्वाटर्स के पते के स्थान पर, कोयमटूर कर्नाटका जो हाल ही मे पूना महाराष्ट्र में निवास रत है, परिवर्तित करवा लिया है। प्रार्थी के डाक आदि एवं पत्राचार का पता कभी भी वर्णित मकान का नही रहा है। किन्तु प्रार्थी वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति होने के कारण अप्रार्थीगण के उक्त मकान को हडप करने के ध्येय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सारहीन है। अप्रार्थीगण के पास सोगरिया स्थित मकान के अलावा कोई रिहायशी या अन्य कोई सम्पत्ति नही है उक्त मकान ही एक मात्र रहने का स्थायी निवास है प्रार्थी को मोहरा बनाकर राजेश्वरी, जयश्री व विजय द्वारा प्रार्थी की ओर से मकान से बेदखल करने हेतु असत्य तथ्यो के आधार पर वर्णित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अभी भी प्रार्थी के सभी दस्तावेजात मंगवाये जावे जिससे स्पष्ट जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष आ सकेगी कि प्रार्थी के द्वारा उक्त मकान मे निवास किया है या नही । इसी कारण वास्तविकता माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आ सके इस कारण प्रार्थी द्वारा अपने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। प्रार्थी को लगभग 40,000/– रूपये पैन्शन प्राप्त होती है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध असत्य तथ्यो के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पत्र प्रस्तुत किया है जो त्रुटि पूर्ण है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने का कथन कर प्रार्थी को उसके मकान में निवास करने में व्यवधान उत्पन्न नही करने, उसके साथ गाली–गलोच व मारपीट नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद करने एवं अप्रार्थीगण को उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करने का निवेदन किया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थी के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान गली नम्बर 4 मकान नं0 44 नई बस्ती सोगरिया कोटा जंक्शन कोटा में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, मकान में किरायेदार रखने आदि में अड़चन पैदा नही करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 8/1/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★